न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री मुनिदेव यादव (आर0 ए0 एस0)

अपील संख्या :– 39/2009 (223 आर0 टी0 एक्ट)
आरसीएमएस संख्या :– 2009/00045

उनवान

1. रामभरोसी पुत्र राम सिंह
2. जल सिंह पुत्र राम सिंह
3. जगन सिंह पुत्र श्री रामजीलाल
4. जगमोहन पुत्र श्री रामजीलाल
5. नथोली दत्तक पुत्र रतनलाल
6. हरी सिंह पुत्र राम सिंह

जाति मीणा नि0 चौखण्डा तह0 बयाना जिला भरतपुर।

.....अपीलाण्ट

बनाम

1. रामनिवास पुत्र यादराम जाति मीणा निवासी चौखण्डा तहसील बयाना जिला भरतपुर।

..... असल रेस्पोडेण्ट

2. प्रेम सिंह पुत्र रामधन
3. मुंशीलाल पुत्र रामधन
4. चूरामन पुत्र रामधन
5. मवासी पुत्र टुण्डू (मृतक)
   - 5/1. रूप सिंह पुत्र स्व0 मवासी
   - 5/2. श्रीपत पुत्र स्व0 मवासी
   - 5/3. चेतराम पुत्र स्व0 मवासी
   - 5/4. धर्म सिंह पुत्र स्व0 मवासी
6. जयपाल पुत्र टुण्डू
7. बाबू पुत्र टुण्डू
8. रामभरोसी उर्फ रामखिलाडी (मृतक)
   - 8/1. फतेह सिंह पुत्र स्व0 रामखिलाडी
   - 8/2. सोने पुत्र स्व0 रामखिलाडी
   - 8/3. गोपी पुत्र स्व0 रामखिलाडी
   - 8/4. गोपाली वेवा स्व0 रामखिलाडी
9. धर्मपाल (मृतक)
   - 9/1. श्यामलाल पुत्र स्व0 धर्मपाल
   - 9/2. बनैसिंह पुत्र स्व0 धर्मपाल
   - 9/3. बच्चू सिंह पुत्र स्व0 धर्मपाल
10. रामचन्द (मृतक)
    - 10/1. रामधानी वेवा रामचन्द
    - 10/2. भंवर सिंह पुत्र रामचन्द
    - 10/3. अमर सिंह पुत्र रामचन्द
11. रामखिलाडी (मृतक)

जाति मीणा नि0 चौखण्डा तह0 बयाना, जिला भरतपुर।

भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

11/1. भीम सिंह पुत्र रामखिलाडी
11/2. भरतलाल पुत्र रामखिलाडी
11/3. श्यामलाल पुत्र रामखिलाडी
11/4. रामवती वेवा रामखिलाडी
जाति मीणा नि0 चौखण्डा तह0 बयाना, जिला भरतपुर।

12. भौंदू (मृतक)
3/1. किस्तूरी वेवा भौंदू
3/2. हुकम सिंह पुत्र भौंदू
3/3. प्रकाश पुत्र भौंदू
3/4. शशि पुत्र भौंदू

13. कलुआ (मृतक)
4/1. दान सिंह पुत्र कलुआ
4/2. मान सिंह पुत्र कलुआ
4/3. समन्दर पुत्र कलुआ

14. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बयाना जिला भरतपुर।

..... तरतीवी रेस्पोडेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध निर्णय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बयाना दिनांक 18.09.2008 प्र0स0 271/04 उनवान रामनिवास बनाम रामभरोसी।

अभिभाषकगण :–

1. वकील अपीलाण्ट श्री गोविन्द सिंह डागुर उपस्थित।
2. वकील रैस्पो0 श्री दुलीचन्द शर्मा एवं श्री हेमराज शर्मा उपस्थित।

निर्णय दिनांक :– 08.08.2024

1. यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बयाना के निर्णय दिनांक 18.09.2008 के विरूद्ध पेश की गई है। अपील के सक्षेंप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी असल रैस्पो0 द्वारा एक वाद अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध प्रतिवादी अपीलाण्ट एवं तरतीवी रैस्पो0 इस आशय का पेश किया कि वाद पत्र में अंकित विवादित आराजी वाके ग्राम चौखण्डा तहसील बयाना जिला भरतपुर में स्थित है। जो वादी एवं प्रतिवादी की संयुक्त कब्जे काश्त की आराजी है एवं वादी एवं प्रतिवादीगण राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्सेनुसार विवादित आराजी पर काबिज काश्त हैं। विवादित आराजी का अभी तक विधिवत विभाजन नहीं हुआ है। इसलिये संयुक्त काश्त करने में पक्षकारान के मध्य आये दिन झगडा फसाद हो जाता है। अतः वाद प्रस्तुत कर विवादित आराजी का बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड विभाजन किये जाने का अनुतोष चाहा। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर, बाद सुनवाई अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.09.2008 से प्राथमिक डिक्री कर दिया। जिससे व्यथित होकर प्रतिवादी अपीलाण्ट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की गयी है।
2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रैस्पो0 एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलव किया गया। बहस उभयपक्ष सुनी गयी।
3. विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपनी बहस में अपील मीमो में अंकित कथनो को दोहराते हुये, कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश पत्रावली पर उपलब्ध

भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

दस्तावेजी साक्ष्य के विपरीत होने के कारण काबिल निरस्तनीय है। प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय ने वादी रैस्पो0 की साक्ष्य तो ली है परन्तु प्रतिवादी अपीलाण्ट को अपनी साक्ष्य प्रस्तुत करने का कोई मौका नहीं दिया। अपीलाण्ट के अभिभाषक ने अपीलाण्ट से कह रखा था कि प्रत्येक पेशी पर आने की जरूरत नहीं है, जब आवश्यकता होगी, तो तुम्हे बुला लिया जावेगा। परन्तु अपीलाण्ट के अभिभाषक ने अपीलाण्ट को कोई सूचना नहीं दी गयी। जिससे अपीलाण्ट को अधीनस्थ न्यायालय में अपनी साक्ष्य प्रस्तुत करने का मौका नहीं मिला है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय को प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु प्रतिप्रेषित किये जाने का निवेदन किया।

4. रैस्पो0 के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश विधि अनुरूप है। जिसमें हस्तक्षेप योग्य कोई गुंजाईश शेष नहीं रहती है। अपीलाण्ट को अधीनस्थ न्यायालय में साक्ष्य का पूरा मौका मिला है। साक्ष्य वादी के बाद साक्ष्य प्रतिवादी प्रस्तुत करने के कई मौके दिये हैं। अंतिम अवसर भी दिया है, फिर हिदायत भी दी है। परन्तु उनके द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है। प्रकरण में कुर्रे आने हैं एवं अपीलाण्ट कुर्रो पर आपत्ति करने को स्वतंत्र हैं। अंत में अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने का निवेदन किया।

5. हमने बहस उभयपक्ष पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 02.06.2006 के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी की साक्ष्य पूर्ण होने पर वास्ते साक्ष्य प्रतिवादी अग्रिम पेशी दिनांक 26.06.2006 नियत की गयी है। तत्पश्चात् प्रकरण 19 तारीख पेशीयो में वास्ते साक्ष्य प्रतिवादी हेतु ही निर्धारित रहा है। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रतिवादी अपीलाण्ट को कई बार अंतिम अवसर, कोस्ट एवं हिदायत पर समय दिया गया है। परन्तु उनके द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है। अतः अपीलाण्ट का यह कथन कि उन्हें साक्ष्य का मौका नहीं मिला, सत्यभासी नहीं माना जा सकता। दौराने बहस अपीलाण्ट का यह तर्क कि उनके अभिभाषक ने प्रत्येक तारीख पेशी पर आने की मना कर रखा था, सारपूर्ण नहीं है। क्योंकि अपीलाण्ट स्वयं का दायित्व था कि वह न्यायालय की कार्यवाही से स्वयं को सूचित रखे एवं यथा आवश्यक अपने अभिभाषक के सम्पर्क में रहे। अधीनस्थ न्यायालय ने प्राथमिक डिक्री विवादित भूमि में से अच्छी में से अच्छी एवं बुरी में से बुरी के विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु पारित की गयी हैं। जिसमें हम कोई विधिक त्रुटि नहीं पाते हैं। प्रतिवादी अपीलाण्ट प्रकरण में विभाजन प्रस्ताव प्राप्त होने पर एवं उन पर आपत्ति करने को स्वतंत्र हैं। उपरोक्त विवेचनानुसार हम अपील अपीलांट खारिज योग्य पाते हैं।

6. अतः आदेश है कि अपील अपीलांट खारिज की जाती है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बयाना के अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.09.2008 यथावत रखें जाते हैं। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावें तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ वापस लौटाया जावें।

7. निर्णय आज दिनांक 08.08.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास में सुनाया गया।

(मुनिदेव यादव)
भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर